**भाकृअनुप–भारतीय मृदा एवं जल संरक्षण संस्थान**
**अनुसंधान प्रक्षेत्र, सेलाकुई, देहरादून– 248011**

फा. सं. 402 /5(15)/SCF/Store/FP/2020-21 दिनांकः– 25.05.2021

## नीलामी सूचना

सर्वसाधारण को अवगत कराया जाता है कि इस संस्थान के अनुसंधान प्रक्षेत्र, सेलाकुई, देहरादून में सब्जियों की फसल जिनका विवरण निम्न प्रकार से है, की **खुली नीलामी (Open Auction) जैसी है जहॉ है के आधार पर दिनांक 07.06.2021 को प्रातः 11–00 बजे अनुसंधान प्रक्षेत्र, सेलाकुई के कार्यालय** में संपन्न की जायेगी :–

| क्रम स. | फसल का नाम | पौधों की संख्या /क्षेत्रफल | फसल की स्थित | फसल की नीलामी की अवधि | नीलामी में भाग लेने हेतु पंजीकरण राषि का विवरण |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | मिर्च<br>शिमला मिर्च<br>टमाटर<br>बैंगन<br>भिंडी | 280<br>40<br>30<br>8<br>150<br>(40 मी$^2$ ) | ZEDIS प्रोजेक्ट एच0 एंड ई0 विभाग। | 31 जुलाई, 2021 | रू0 500/– |
| 2. | सहजन (Drumstick) | 198 | प्रक्षेत्र प्रबंधन अनुभाग | 30 नवंबर, 2021 | रू0 500/– |

इस नीलामी की नियम व शर्ते निम्न प्रकार से है :–

1. फसल की खुली नीलामी दिनांक **07.06.2021** को प्रातः**: 11.00** बजे अनुसंधान प्रक्षेत्र, सेलाकुई के कार्यालय भवन में की जायेगी। बोली प्रारम्भ होने के पश्चात् किसी को भी नीलामी स्थल में प्रवेश की अनुमति प्रदान नही की जायेगी।
2. फसल की नीलामी जैसी है जहॉं है के आधार पर की जायेगी। एक बार बोली छूटने के पश्चात् फसल से संबंधित किसी भी प्रकार की शिकायत इत्यादि को स्वीकार नहीं किया जायेगा।
3. इच्छूक बोलीदाता फसल का निरीक्षण दिनांक 27.05.2021 से दिनांक 05.06.2021 तक किसी भी कार्यदिवस में 11.00 बजे से 4.00 बजे के बीच कर सकते है।
4. उपरोक्त सारणी के क्रम संख्यां 1 में वर्णित सब्जियों की नीलामी एक साथ एवं क्रम संख्या 2 में वर्णित सहजन की नीलामी अलग से की जायेगी एवं ई0एम0डी0 की धनराशि क्रम संख्यां 1 के लिए **रु0 500/–(रु0 पांच सौ मात्र)** व क्रम संख्यां 2 के लिए **रु0 500/–(रु0 पांच सौ मात्र)** नगद अथवा डी0 डी0 जो कि निदेशक महोदय, भारतीय मृदा एवं जल संरक्षण संस्थान, देहरादून के पक्ष में हो, जमा कराना होगा। साथ में **बैक की पासबुक व आधार कार्ड की छायाप्रति** आई0डी0 के रूप में जमा करानी होगी। ई0एम0डी0 राशि जमा ना करने की अवस्था में नीलामी कक्ष में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जायेगी।
5. एक ई0एम0डी0 राशि के साथ केवल एक ही बोलीदाता को नीलामी में भाग लेने की अनुमति होगी।
6. असफल बोलीदाता को ई0एम0डी0 वापिस कर दी जायेगी।
7. नीलामी में उच्चतम बोलीदाता को सफल बोलीदाता माना जायेगा तथा नीलामी उनके पक्ष में की जायेगी। व **सफल बोलीदाता को बोली की 25% धनराशि तुरन्त जमा करानी होगी।** तथा शेष धनराशि नीलामी तिथि के

सात दिवस के भीतर अर्थात दिनांक **14.06.2021** तक संस्थान में अवश्य जमा करानी होगी। यह धनराशि दिनांक 14.06.2021 तक न जमा कराने की अवस्था में उनके पक्ष की नीलामी रद्द मान ली जायेगी तथा उनकी ई0एम0डी0 राशि जब्त करी ली जायेगी। सफल बोलीदाता द्वारा उपरोक्त पूर्ण राशि जमा कराने के पश्चात् ही उनके नाम नीलामी आदेश जारी किये जायेंगे।

8. सफल बोलीदाता की ई0एम0डी0 की राशि को जमानत राशि के स्वरूप जमा रखा जायेगा तथा नीलामी अवधि पूर्ण होने के पश्चात् जमानत राशि वापस की जायेगी। सफल बोलीदाता को नीलामी आदेश प्राप्ति के पश्चात् फसल की देख–रेख, सुरक्षा, तुडाई, पैकिंग, अनुसंधान प्रक्षेत्र से ले जाने इत्यादि की पूर्ण जिम्मेदारी स्वंय की होगी। संस्थान द्वारा इसमें किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी अथवा व्यय वहन नहीं किया जायेगा।

9. सफल बोलीदाता को उपरोक्त कार्य में लगाये जाने वाले कर्मचारियों की संपूर्ण जानकारी उनके आधार कार्ड की प्रति सहित प्रक्षेत्र अधीक्षक को जमा करानी होगी। वह फसल की तुडाई हेतु बाल मजदूर का उपयोग नहीं करेंगे।

10. सफल बोलीदाता द्वारा क्रम स0 8 में दी गयी शर्तो को पूर्ण करने के पश्चात् सब्जियों की फसल को तोडने का अधिकार निदेशक, महोदय की स्वीकृति पश्चात् दी गयी अवधि तक ही होगा। उसके पश्चात् उनको या उनके कर्मचारियों को फसल तुडाई हेतु प्रवेश नहीं दिया जायेगा।

11. **समस्त ठेकेदार/बोलीदाता चेहरे पर मास्क/गमछा पहनकर, हाथों को सेनेटाइज कर तथा बोली के समय एक दूसरे से 2 मीटर की दूरी का ध्यान रखेंगे** तथा बोलीदाता के अलावा उनके साथ आये किसी भी व्यक्ति को मुख्य द्वार से अन्दर कार्यालय/नीलामी स्थल में आने की अनुमति नही होगी।

12. सफल बोलीदाता द्वारा **फसल की तुडाई इत्यादि का कार्य, कार्य दिवस में प्रातः 10.00 बजे से 5.00 बजे** के बीच ही करना होगा।

13. सम्बन्धित वैज्ञानिक/तकनीकी अधिकारी को उपज के आंकड़े लेने के लिए सब्जियों की फसल तोड़ने का अधिकार होगा, जो तोल करने के उपरान्त ठेकेदार को वापिस कर दी जायेगी।

14. सफल बोलीदाता के स्वंय, उनके कर्मचारियों तथा फसल को बाहर ले जाने इत्यादि के दौरान यदि अनुसंधान प्रक्षेत्र की किसी भी सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाया जाता है तो इस नुकसान की भरपाई में हाने वाला समस्त व्यय का भुगतान बोलीदाता को स्वंय करना होगा अन्यथा उनके विरुद्ध उचित कार्यवाही की जायेगी।

15. सफल बोलीदाता द्वारा फसल की तुड़ाई के दौरान उनको या उनके कर्मचारियों को किसी भी प्रकार का शारीरिक नुकसान इत्यादि होता है तो उसकी जिम्मेदारी संस्थान की नहीं होगी।

16. निदेशक, भा0कृ0अ0प0– भारतीय मृदा एवं जल संरक्षण संस्थान, देहरादून को किसी भी बोली को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने अथवा संपूर्ण नीलामी प्रक्रिया को किसी भी अवस्था में बिना कारण बताये रद्द करने का संपूर्ण अधिकार है।

प्रक्षेत्र अधीक्षक
अनुसंधान प्रक्षेत्र, सेलाकुई